Order Sheet [Contd] Case No 387/17 बी०ए

	Case No <u>387</u> /	<u>′17</u> बी0ए
Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
13.11.2017	पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से प्रकरण मेरे समक्ष पेश। आवंदिका अमियुक्त श्रीमती रामश्री बाई द्वारा श्री ह्देश शुक्ला उपस्थित। राज्य द्वारा श्री बी.एस. बघेल अतिरिक्त लोक अमियोजक उपस्थित। थाना गोहद के अपराध कमांक 262/17 अंतर्गत धारा 420 एवं 409 भाठदंठसंठ की कैफियत एवं केंस डायरी प्रापा। अग्नेदिका की ओर से सूची सिहत दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। नकल दिलाई गई। आवंदिका के आवंदन के समर्थन में आवंदिका श्रीमती रामश्री बाई के पुत्र बेताल सिंह के द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया है। आवंदन एवं शपथपत्र में यह व्यक्त किया है कि आवंदिका का यह प्रथम अग्रिम जमानत आवंदन अंतर्गत धारा 438 दंठप्रठसंठ का है। इस प्रकृति का अन्य कोई आवंदन इस न्यायालय, समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष न तो प्रस्तुत किया गया है और न विचाराधीन है और न ही निरस्त किया गया है। ऐसा ही केंस डायरी से भी स्पष्ट है। आवंदिका श्रीमती रामश्रीबाई के अग्रिम जमानत आवंदन अंतर्गत धारा 438 दंठप्रठसंठ पर उभय पक्ष के तर्क सुने गये। आवंदिका की ओर से यह व्यक्त किया गया है कि वह ग्राम हिडयापुरा ग्राम पंचायत कल्यानपुरा की सरपंच है तथा महिला है। आवंदिका की आयु 50 वर्ष होकर वह हिरजन सामाज की है। आवंदिका के ग्राम पंचायत के सचिव के द्वारा अनियमितताएं की गई थीं। जनकी शिकायतें यथा समय आवंदिका द्वारा अपने अपने आवंदनपत्र में स्पष्ट को की गई थीं। कलेक्टर महोदय मिण्ड के द्वारा सी.ई.ओ. गोहद को जांच कर प्रतिवंदन प्रस्तुत कर निर्देशित किया गया था। आवंदिका द्वारा अपने अपने आवंदनपत्र में स्पष्ट रूप से ही किया जाता रहा है। उसके प्रश्वात भी विरोधियों से मिलकर फर्जी तरीक से उसके विरुद्ध पुलिस थाना गोदह में अपराध पंजीबद्ध कर दिया है। कथित अपराध से आवंदिका का किसी भी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। आवंदिका ग्राम पंचायत की सरपंच होकर प्रतिप्तित महिला है। राजनैतिक विद्वेश के कारण आवंदिका की प्रतिका की प्रतिप्त करने के उद्देश्य से आवंदिका को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तर आधारों पर जमानत अवंदन निरस्त किये जाने पर सब की सुने जाने तथा कैंकियत एवं केस डायरी का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि अभियोजन की अनुसार ग्राम कल्यानपुरा में विवित्त श्रीमती रामश्री वाई के द्वारा ईंगी, को संवंध में सीवेव दिलीप सिंह गुर्जर एवं आवेदिका श्रीमती रामश्री वाई के द्वारा ईंगी, को विवाद	ATOM I
	संयुक्त हस्ताक्षर कर उक्त राशि आहरित कर ली गई। मौके पर मुख्य कार्यपालन	

अधिकारी श्री श्याममोहन श्रीवास्तव द्वारा जांच की गई। जिसमें स्थल पर कोई भी निर्माण कार्य न होना पाया गया। इस प्रकार रामश्री बाई एवं दिलीप सिंह गुर्जर के द्वारा उपरोक्त शासकीय धनराशि का आपराधिक न्यासमंग (गबन) दिनांक 12.03.17 से दिनांक 23.08.17 तक किया गया एवं छल किया गया। जिसके संबंध में जांच रिपोर्ट दी गई एवं थाना गोहद में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखी जाकर अपराध पंजीबद्ध किया गया।

आवेदिका की ओर से कार्यालय कलेक्टर के द्वारा रामश्री को लिखे गए पत्र, रामश्री द्वारा कलेक्टर को, थाना प्रभारी को, मुख्य कार्यपालन अधिकारी को लिखे गए पत्र तथा कारण बताओ सचना पत्र के संबंध में आगामी तारीख देने का पत्र, पेपर कटिंग, कथन आदि की फोटो प्रतियां प्रस्तुत की गई हैं। जिनका परिशीलन किया गया। आवेदिका की ओर से प्रमुख रूप से यह आधार लिया गया कि गबन सचिव दिलीप सिंह गुर्जर के द्वारा किया गया है। आवेदिका के द्वारा तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी को एवं अन्य जगह गबन की शिकायत की गई है। केस डायरी का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया से जानकारी ली गई है, जिसमें यह जानकारी दी गई है कि सरपंच एवं सचिव ने संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए हैं जिनके नमूने हस्ताक्षर की प्रति भी संलग्न की गई है। आवेदिका के द्वारा अपराध किया गया अथवा नहीं, उसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए अथवा नहीं यह गुणदोष का प्रश्न है, जो इस स्तर पर नहीं देखे जा सकते। प्रथम दृष्टि में संयुक्त रूप से हस्ताक्षर कर राशि आहरित किया जाना प्रकट हो रहा है। अतः ऐसी स्थिति में संपूर्ण परिस्थितियों, तथ्यों, अपराध की प्रकृति एवं स्वरूप, गबन की गई राशि 22,66,009 / –रूपए को तथा आवेदिका के विरूद्ध आक्षेपों को देखते हुए आवेदिका को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदिका श्रीमती रामश्री बाई का अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा-438 दं0प्र0सं0 निरस्त किया गया।

आदेश की प्रति केस डायरी सहित वापिस की जावे। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।

(मोहम्मद अजहर) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड